

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-फर्रुखाबाद, झाँसी, ललितपुर, जालौन, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी
इटावा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर,
बाराबंकी, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, करानपुर नगर, कन्नौज, बरेली, मेरठ, जी०बी० नगर, गाजियाबाद,
मुरादाबाद, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच एवं गोण्डा।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPHCE/2017-18/11825-35

दिनांक: 13.2.2018

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) हेतु
वर्ष 2017-18 के लिए आर०ओ०पी० के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रु० 1988.21 लाख की धनराशि
अनुमोदित की गयी है, जिसके क्रम में रु० 932.73 लाख अवमुक्त किया जा चुका है, जिसमें संविदाकर्मियों
का 04 माह का मानदेय भी सम्मिलित है।

2. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त संविदाकर्मियों के 04
माह के मानदेय हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु० 527.73 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला
स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है- (Payment Advice No.
C011815188847 Dated 27.01.2018)

Amt. in Rs.

Sl. No.	Name of Districts						CHC	Total
		Salary of Contractual Staff						
		Consultant Medicine (2) @ Rs. 80000 P.M. for 4 months	Nurse (6) @ Rs. 20,000 P.M. for 4 months	Physiotherapi st @ Rs. 20,000 P.M. for 4 months	Hospital Attendants (2) @ Rs. 7,500 P.M. for 4 months	Sanitary Attendants (2) @ Rs. 7,500 P.M. for 4 months	Rehabilitatio n Worker @ Rs. 18,000 P.M. for 4 months	
FMR CODE	B.30.2.4	B.30.1.2	B.30.1.9	B.30.11.9	B.30.11.9	B.30.11.3		
1	Farrukhabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	2,040,000.00
2	Jhansi	640,000.00	496,000.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	576,000.00	1,922,000.00
3	Lalitpur	640,000.00	480,000.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	360,000.00	1,690,000.00
4	Jalaun	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	432,000.00	1,752,000.00
5	Firozabad	640,000.00	504,000.00	84,000.00	63,000.00	61,500.00	889,200.00	2,241,700.00
6	Sultanpur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	936,000.00	2,256,000.00
7	Raebareli	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	1,224,000.00	2,544,000.00
8	Lakhimpur Khiri	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	792,000.00	2,112,000.00
9	Etawah	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	576,000.00	1,896,000.00
10	Allahabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
11	Pratapgarh	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00

12	Azamgarh	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
13	Basti	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
14	Gorakhpur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
15	Varanasi	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
16	Mirzapur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
17	Faizabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
18	Ambedkar Nagar	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
19	Barabanki	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
20	Agra	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
21	Mathura	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
22	Mainpuri	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
23	Aligarh	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
24	Kanpur Nagar	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
25	Kannauj	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
26	Bareilly	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
27	Meerut	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
28	G.B. Nagar	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
29	Ghaziabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
30	Moradabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
31	Hardoi	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
32	Lucknow	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
33	Sitapur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
34	Bahraich	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
35	Gonda	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
Total		22,400,000.00	16,840,000.00	2,812,000.00	2,109,000.00	2,107,500.00	6,505,200.00	52,773,700.00

3. कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार, मदवार विस्तृत दिशा-निर्देश महानिदेशक, के पत्र सं० राज्य एन०सी०डी०सेल/2017-18/995 दिनांक 10/08/2017 को प्रेषित किये जा चुके हैं।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक ईश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
8. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा कारायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPHCE/2017-18/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई-मेल द्वारा इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(डा0 ए0बी0 सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद—फर्रुखाबाद, झाँसी, ललितपुर, जालौन, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी
इटावा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर,
बाराबंकी, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, करानपुर नगर, कन्नौज, बरेली, मेरठ, जी०बी० नगर, गाजियाबाद,
मुरादाबाद, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच एवं गोण्डा।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPHCE/2017-18/

दिनांक: 13.2.2018

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) हेतु
वर्ष 2017-18 के लिए आर०ओ०पी० के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रु० 1988.21 लाख की धनराशि
अनुमोदित की गयी है, जिसके क्रम में रु० 932.73 लाख अवमुक्त किया जा चुका है, जिसमें संविदाकर्मियों
का 04 माह का मानदेय भी सम्मिलित है।

2. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त संविदाकर्मियों के 04
माह के मानदेय हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु० 527.73 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला
स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है— (Payment Advice No.
C011815188847 Dated 27.01.2018)

Amt. in Rs.

Sl. No.	Name of Districts							Total
		CHC						
		Salary of Contractual Staff						
		Consultant Medicine (2) @ Rs. 80000 P.M. for 4 months	Nurse (6) @ Rs. 20,000 P.M. for 4 months	Physiotherapist @ Rs. 20,000 P.M. for 4 months	Hospital Attendants (2) @ Rs. 7,500 P.M. for 4 months	Sanitary Attendants (2) @ Rs. 7,500 P.M. for 4 months	Rehabilitation Worker @ Rs. 18,000 P.M. for 4 months	
FMR CODE		B.30.2.4	B.30.1.2	B.30.1.9	B.30.11.9	B.30.11.9	B.30.11.3	
1	Farrukhabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	2,040,000.00
2	Jhansi	640,000.00	496,000.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	576,000.00	1,922,000.00
3	Lalitpur	640,000.00	480,000.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	360,000.00	1,690,000.00
4	Jalaun	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	432,000.00	1,752,000.00
5	Firozabad	640,000.00	504,000.00	84,000.00	63,000.00	61,500.00	889,200.00	2,241,700.00
6	Sultanpur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	936,000.00	2,256,000.00
7	Raebareli	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	1,224,000.00	2,544,000.00
8	Lakhimpur Khiri	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	792,000.00	2,112,000.00
9	Etawah	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	576,000.00	1,896,000.00
10	Allahabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
11	Pratapgarh	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00

12	Azamgarh	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
13	Basti	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
14	Gorakhpur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
15	Varanasi	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
16	Mirzapur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
17	Faizabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
18	Ambedkar Nagar	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
19	Barabanki	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
20	Agra	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
21	Mathura	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
22	Mainpuri	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
23	Aligarh	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
24	Kanpur Nagar	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
25	Kannauj	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
26	Bareilly	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
27	Meerut	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
28	G.B. Nagar	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
29	Ghaziabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
30	Moradabad	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
31	Hardoi	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
32	Lucknow	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
33	Sitapur	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
34	Bahraich	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
35	Gonda	640,000.00	480,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,320,000.00
Total		22,400,000.00	16,840,000.00	2,812,000.00	2,109,000.00	2,107,500.00	6,505,200.00	52,773,700.00

3. कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार, मदवार विस्तृत दिशा-निर्देश महानिदेशक, के पत्र सं० राज्य एन०सी०डी०सेल/2017-18/995 दिनांक 10/08/2017 को प्रेषित किये जा चुके हैं।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
8. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफार्मेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPHCE/2017-18/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई-मेल द्वारा इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(डा0 ए0बी0 सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0